रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936
No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

वस्त्र मंत्रालय
(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2014

सा.का.नि. 211 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1970 में जहां तक इसका संबंध सहायक मास्टर श्रेणी-I और पुस्तकालयाध्यक्ष (ii) बुनकर सेवा केन्द्र और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (कनिष्ठ सहायक प्रलेखीकरण) भर्ती नियम, 1993 और (ii) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, नक्शानवीस-सहकार्यशाला अधीक्षक (समूह''ख'' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1997 का उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त के संगठन के अधीन भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यशाला अधीक्षक, वरिष्ठ अनुदेशक (बुनाई) और पुस्तकालय तथा प्रभाग सहायक के पदों पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान समूह "ख'' अराजपत्रित (तकनीक) पद भर्ती नियम 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना –** ये नियम, इन नियमों से उपाबध अनुसूची में स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **आरंभिक गठन – कार्यालय आदेश संख्यांक** - आईएचटीजी/स्था-I(3)/346 तारीख 8 मई, 2008 और संख्यांक आईएचटीजी/स्था; पी(71)/715-717 तारीख 22 मई, 2010 द्वारा नियमित आधार पर अनुदेशक-सह-निदर्शन का पद धारण कर रहे पदधारी इन नियमों के अधीन नियुक्त हुए समझे जाएंगे और उक्त पद पर उनके द्वारा दी गई नियमित सेवा परिवीक्षा और प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी ।

6. **निर्हरता** – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1.कार्यशाला अधीक्षक	03* (2014) *कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री; () हथकरघा (पावरलूम विनिर्माण इकाई/वस्त्र मिल में फोरमैन के रूप में दो वर्ष का अनुभव)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:-** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी में या अध्ययन छुट्टी पर पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक समय तक दूर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के उन

टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारण लेखबध करके शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			अधिकारियों में से भरा जाएगा जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित बेसिक अर्हताएं रखते हैं । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
11	12	13
लागू नहीं होता ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. हथकरघा विकास आयुक्त —अध्यक्ष 2. हथकरघा अपर विकास आयुक्त —सदस्य 3. निदेशक (संस्थान) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

				पद	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. वरिष्ठ अनुदेशक (बुनाई)	11* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी या वस्त्र इंजीनियरी में डिग्री; (ii) किसी वस्त्र संस्थान या किसी हथकरघा उत्पादन यूनिट में हथकरघा या वस्त्र बुनाई में अनुदेशक के रूप में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वस्त्र प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा;	आयु : लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	() पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा () अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(ii) किसी वस्त्र संस्थान या हथकरघा उत्पादन इकाई में अनुदेशक के रूप में चार वर्षीय अनुभव **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारण लेखबध करके शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
11
प्रोन्नति :- वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. में ऐसा अनुदेशक (बुनाई) जिसने श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवी की हो और भारतीय हथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा किया हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी –

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-1, 5200 रु.- 20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में श्रेणी में 6 वर्ष सेवा कर चुके हों ।

(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख् से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेनमान पर की गई सेवी समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक (संस्थान) भारतीय हथकरघा और प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य 2. वरिष्ठ प्राध्यापक (वस्त्र/वस्त्र प्रसंस्करण, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान) - सदस्य 3. मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से सहायक निदेशक श्रेणी- I/II (गैर तकनीक) - सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना सहायक	04 *(2014) * कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित,	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए

	परिवर्तन किया जा सकता है ।	अनुसचिवीय	4200 रु.		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
() किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बेचलर डिग्री । (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान में दो वर्ष का वृतिक अनुभव । वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्युटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन, छुट्टी या एक वर्ष या इससे अधिक की किसी अन्य परिस्थिति के कारण पदधारी द्वारा कारित रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के उन पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तम्भ (7) में अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित बौद्धिक अर्हता और अनुभव रखते हों (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या

अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारण लेखबध करके शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर, बाह्य-पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक (संस्थान) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ प्राध्यापक (वस्त्र/वस्त्र प्रसंस्करण) भारतीय हथकरघा और प्रौद्योगिकी संस्थान —सदस्य 3. मुख्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र या भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से सहायक निदेशक ग्रेड I/II (गैर तकनीक) — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन : ये नियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । तथापि, विद्यमान पदधारियों की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से नियम 5 भूतलक्षी तारीख से प्रवृत्त होता है । यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[फा.सं. ए–12028/3/2011–डीसीएचएल/ई– II]
जया दुबे, अपर हथकरघा विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2014

G.S.R. 211 (E.).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (i) Indian Institutes of Handloom Technology (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1970 in so far as they relate to the posts of Assistant Master Grade-I and Librarian, (ii) the Weavers' Service Centres and the Indian Institutes of Handloom Technology (Junior Documentation Assistant) Recruitment Rules, 1993 and (iii) the Indian Institute of Handloom Technology Draftsman-cum-Workshop Superintendent (Group 'B' Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done above before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Workshop Superintendent, Senior Instructor(Weaving) and Library and Information Assistant in the Ministry of Textiles, Indian Institutes of Handloom Technology under the Organization of the Development Commissioner for Handlooms, namely :-

1. **Short title and commencement**. - (1)These rules may be called the Ministry of Textiles, Indian Institutes of Handloom Technology, Group 'B' Non-Gazetted (Technical) Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.--These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.--** The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial Constitution.-** The incumbents holding the post of Instructor-cum-Demonstrator on regular basis vide Office Order numbers IHTG/Estt.1(3)/346 dated 8th May, 2008 and number IHTG/Estt.P(71)/715-717 dated 22nd May, 2010 shall be deemed to have been appointed under these rules and the regular service rendered by them in the said post shall be counted for the purpose of probation and promotion.

6. **Disqualification. –** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Powers to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) Workshop Superintendent.	03* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹ 4600	Selection.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; (ii) two years experience as a Foreman in a handloom/ powerloom manufacturing unit/ textile mill. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ competent

						authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation from amongst the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confir-mation) consisting of:** 1. Development Commissioner for Handlooms – Chairman 2. Additional Development Commissioner for Handlooms – Member 3. Director (Institute), Indian Institutes of Handloom Technology –Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Instructor (Weaving).	11* (2014) *Subject to variation	General Central Service, Group 'B'	Pay band-2 ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4200/-.	Selection.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the

	dependent on workload.	Non-Gazetted, Non Ministerial.			Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Degree in Textile Technology or Textile Engineering from a recognised University or Institute; (ii) two years practical experience as an Instructor in handloom or textile weaving in a textile Institute or in a handloom production unit. or (i) Three years Diploma in Textile Technology or Diploma in Handloom Technology or Diploma in Handloom and Textile Technology from a recognised University or Institute; (ii) four years practical experience as an Instructor in handloom or textile weaving in a textile Institute or in a handloom production unit. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits and promotees.	(i) Twenty per cent by promotion, failing which by deputation; (ii) eighty per cent by direct recruitment.

(11)
Promotion: Instructor (Weaving) in the pay band-1 ₹5200-20200 plus grade pay of ₹2800 with six years regular service in the grade and have undergone refresher course at the Indian Institute of Handloom Technology or any other recognised Institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note-2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation:** Officers under the Central or State Government or Union territories : (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2800 or equivalent in the parent cadre or Department ; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications). **Note:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/ confirmation) consisting of: 1. Director (Institute), Indian Institute of Handloom Technology —Chairman 2. Senior Lecturer (Textiles/Textile Processing), Indian Institute of Handloom Technology —Member 3. Assistant Director Grade-I/II (Non-Technical) from Headquarter or Weavers' Service Centre or Indian Institute of Handloom Technology —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Library and Information Assistant	04* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' , Non-Gazetted, Non-	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹ 4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

		ministerial.			Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(8)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation from amongst the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director (Institute), Indian Institute of Handloom Technology – Chairman 2. Senior Lecturer (Textiles/Textile Processing), Indian Institute of Handloom Technology – Member 3. Assistant Director Grade-I/II (Non-Technical) from Headquarter or Weavers' Service Centre or Indian Institute of Handloom Technology – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Explanatory Note:-These rules take effect from the date of publication in the Gazette of India. However, rule 5 comes into force from retrospective date with a view to regularise the services of existing incumbents. It is certified that by giving retrospective effect to rule 5, the interest of no one would be affected adversely.

[F. No. A-12028/3/2011-DCHL/E-II]
JAYA DUBEY , Addl. Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.